



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 267) पटना, शुक्रवार, 22 फरवरी 2019

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी 2019

सं० 15/एम 1-164/2015-463—बिहार राज्य के किशनगंज में निजी क्षेत्र में माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं लायंस सेवा केन्द्र हॉस्पिटल, किशनगंज, बिहार से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जांचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं लायंस सेवा केन्द्र हॉस्पिटल, किशनगंज, बिहार को बिहार राज्य के किशनगंज में निजी क्षेत्र में माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 267-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>